

**परिपत्र समस्त शाखाओं/कार्यालयों हेतु
प्रधान कार्यालय के परिचालन विभाग द्वारा जारी**

महोदय/महोदया,

विषय: शाखाओं एवं कार्यालयों द्वारा अन्य बैंकों में संचालित किये जा रहे बैंकर खाते का नाम एवं पैन संख्या अद्यतन कराने के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि भारत सरकार के गजट अधिसूचना के अनुसार, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, और आर्यावर्त बैंक का सम्मेलन कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। जो दिनांक 01-05-2025 से प्रभावी है।

बैंक के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कतिपय शाखाओं द्वारा अन्य बैंकों में बैंकर खाते संचालित किये जाते हैं। नए बैंक के गठन के बाद यह आवश्यक है कि सभी कार्यालयों एवं शाखाओं द्वारा अन्य बैंकों में संचालित खाते में निम्नलिखित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	विषय	दिशा-निर्देश/वांछित कार्यवाही
1	नये बैंक "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" का नाम अद्यतन कराना	1) समस्त पूर्ववर्ती प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा ऐसी शाखाएं जिनके द्वारा अन्य बैंकों में खाते संचालित हैं उनमें पूर्ववर्ती बैंक के स्थान पर नये बैंक का नाम दर्ज कराया जाये। 2) पूर्ववर्ती प्रधान कार्यालय द्वारा सी.एस.जी.एल./डिमैट खातों में नये बैंक का नाम दर्ज कराया जाये। 3) समाशोधन (Clearing) कार्य हेतु नामित शाखाओं द्वारा सम्बन्धित बैंक/समाशोधनगृह में नये बैंक का नाम दर्ज कराया जाये। 4) पूर्ववर्ती प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा यथावश्यक सरकारी विभागों / अन्य संस्थाओं अथवा जहाँ आवश्यक हो, के अभिलेखों हेतु नामित नये बैंक की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
2	नये बैंक के PAN संख्या "AAAJU0568R" को अद्यतन कराना	1) समस्त पूर्ववर्ती प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा ऐसी शाखाएं जिनके द्वारा अन्य बैंकों में खाते संचालित हैं उनमें पूर्ववर्ती बैंक के PAN संख्या के स्थान पर नए बैंक "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" के PAN संख्या "AAAJU0568R" को अद्यतन कराया जाये। बैंक के PAN संख्या को परिपत्र संख्या 48 दिनांक 09-05-2025 के माध्यम से जारी भी किया गया है। 2) पूर्ववर्ती प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखाएं जहाँ आवश्यक हो, के अभिलेखों में नये बैंक के PAN संख्या को अद्यतन कराया जाये।

चूँकि इस कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराना है। अतः क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधीन शाखाओं से उचित अनुश्रवण कर इस कार्य को दिनांक 23-05-2025 तक पूर्ण करायें





उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Uttar Pradesh Gramin Bank

एवं कार्य पूर्ण होने की पुष्टि को उपलब्ध कराये जा रहे प्रारूप में दिनांक 26-05-2025 तक प्रधान कार्यालय के परिचालन विभाग को प्रेषित करें।

पुष्टि प्रमाण पत्र

पत्रांक:.....

दिनांक:.....

महोदय,

विषय: परिपत्र संख्या.....दिनांक.....के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण होने का पुष्टि प्रमाण पत्र।

उपरोक्त विषय में पुष्टि किया जाता है कि परिपत्र संख्यादिनांकके अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रान्तर्गत शाखाओं द्वारा अन्य बैंकों में संचालित बैंकर खाते में नए बैंक का नाम "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" एवं PAN संख्या "AAAJU0568R" अद्यतन करा लिया गया है।

भवदीय

(क्षेत्रीय प्रबंधक का नाम)

क्षेत्रीय प्रबंधक

कृपया परिपत्र की विषयवस्तु को शाखा / कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के संज्ञान में लायी जाये तथा उपरोक्त का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय


(घनश्याम सिंह)

महाप्रबन्धक



प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ - 226010
Head Office: 2nd and 3rd floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010
email- ho@barodauprrb.co.in